

20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 01 किलो नौशादर व शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गगहा जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 02 जून 2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 01 किलो नौशादर, लहन व शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त 1- डुम्बई उर्फ परमेश्वर S/O जोगिन्द्र उराव ग्राम मलगो थाना मलगो थाना भरनो जिला गुमला (झारखण्ड) हाल मुकाम ग्राम राजपुर थाना गगहा गोरखपुर व अभियुक्ता 2- सोमाती देवी पत्नी डुम्बई उराव ग्राम मलगो थाना भरनो जिला गुमला झारखण्ड हाल मुकाम राजपुर थाना गगहा जिला गोरखपुर को ग्राम राजपुर पास खेत में बनी झोपड़ी से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 185/22 धारा 60(2) EX ACT. व 272 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1-डुम्बई उर्फ परमेश्वर पुत्र जोगिन्द्र उराव ग्राम मलगो थाना मलगो थाना भरनो जिला गुमला (झारखण्ड) हाल मुकाम ग्राम राजपुर थाना गगहा गोरखपुर

2-सोमाती देवी पत्नी डुम्बई उराव ग्राम मलगो थाना भरनो जिला गुमला झारखण्ड हाल मुकाम राजपुर थाना गगहा जिला गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मुअ0सं0 185/22 धारा 60(2) EX ACT. व 272 IPC थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

ग्राम राजपुर पास खेत में बनी झोपड़ी 02.06.2022 समय 11.00 बजे

बराहदगी का विवरण

20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 01 किलो नौशादर व शराब बनाने का उपकरण

गिरफ्तारी करने वाले अधि0/कर्मचारीगण

- 1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 2.हे0का0 हीरा सिंह यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 3.का0 रितेश सरोज थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- 4.का0 धनंजय कुमार वर्मा थाना गगहा जनपद गोरखपुर
5. म0का0 नीशा थाना गगहा जनपद गोरखपुर